

अपने भाषा सहायता संबंधी अधिकार को जाने

आपके पास आवश्यकतानुसार स्वयं या अपने बच्चे, और परिवार के सदस्यों की देखभाल के बारे में बात करने के लिए बर्ना किसी शुल्क के भाषा संबंधी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौजूद है। यह दुभाषिया अंग्रेजी और हर्दि को धाराप्रवाह रूप से बोलता है और यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा संबंधी शब्दों में प्रशिक्षित है कि आप व आपके डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी को सही सूचना प्राप्त हो। प्रशिक्षित दुभाषिया आपसे संबंधित कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगा।

आप इन कार्यों के लिए अस्पतालों, क्लिनिकों और चिकित्सा कार्यालयों से योग्य दुभाषिया की सहायता और अपनी भाषा में लिखित सामग्री मांग सकते हैं:

- डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के अन्य सदस्यों से बात करना
- मुलाकात तय करना
- बिल व बीमे के बारे में बात करना

स्वास्थ्य देखभाल के लिए भाषा संबंधी सेवाएं महत्वपूर्ण क्यों हैं?

यह कानून है

राज्य और अमेरिकी कानून द्वारा अंग्रेजी समझने, बोलने या पढ़ने में सहायता की जरूरत वाले लोगों और वकीलांग लोगों को देखभाल तक समान पहुंच प्रदान करना आवश्यक बनाया गया है।

रोगियों को सही समय पर सही देखभाल हासिल करने में सहायता करना

रोगियों, परिवारों और चिकित्सा स्टाफ को स्वास्थ्य समस्याओं, घर पर करने योग्य चीजों और बाद में कब और किस प्रकार सहायता प्राप्त करें, इस बारे में एक-दूसरे से बात करने की आवश्यकता होती है।

रोगियों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है

अध्ययन दर्शाते हैं कि जब रोगियों को भाषा संबंधी सेवाएं नहीं मिलती हैं तो वे दवा संबंधी गलतियों सहित चिकित्सा त्रुटियों द्वारा अक्सर अधिक नुकसान झेलते हैं; उन्हें अधिक आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता पड़ती है; और उन्हें आम तौर पर अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।

सहायता से चिकित्सा देखभाल का व्यय कम होता है

भाषा संबंधी सहायता के बिना, डॉक्टर रोगी की समस्या नहीं जान पाते हैं तो वे अधिक जांच कराने और रोगी को अस्पताल भेजने का निर्देश दे सकते हैं चाहे हमेशा इसकी जरूरत न हो।

यदि आपको भाषा संबंधी सहायता पाने में समस्या आती है तो आप Office of Civil Rights U.S. Department of Health and Human Services के पास इन माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फोन: (800) 368-1019, फैक्स: (206) 615-2297, टीडीडी: (800) 537-7697, या ऑनलाइन www.hhs.gov/ocr/office/index.html पर अथवा वाशिंगटन राज्य के मानवाधिकार आयोग से फोन से 1-800-233-3247, टीटीवाई: 1-800-300-7525 पर अथवा <http://www.hum.wa.gov/> पर संपर्क कर सकते हैं।



WASCLA

Washington State Coalition for Language Access

www.wascla.org